HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15455/2025

Julfekar Alias Inna S/o Gulsaheen Alias Budhan, Aged About 27 Years, Resident Of Jagdishpur Post Medholi, Police Station Raniganj, District Pratapgah Raj. (Presently Lodged In District Jail, Nagaur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Surendra Singh Choudhary
For Respondent(s)	:	Mr. Narendra Gehlot, PP

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

23/02/2026

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना–पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–483 के अन्तर्गत **पुलिस थाना सुरपालिया, जिला नागौर** में दर्ज **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 82/2019,** अपराध अन्तर्गत धारा **395, 412, 120बी भारतीय दंड संहिता** के संबंध में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप है कि उसने अन्य अभियुक्तगण के साथ दिनांक 29.09.2019 को सोयाबीन तेल से भरे टीन को लूटकर भारतीय दंड संहिता की धारा 395, 120बी के अधीन दंडनीय अपराध कारित किया है। अनुसंधान के उपरांत अभियुक्तगण अब्दुल मतीन खान उर्फ नदीम, गुलसाद अहमद उर्फ बब्बू व ताहिर मेव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 395, 120बी के अधीन दंडनीय अपराध का आरोप–पत्र पेश कर दिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त जुल्फेकार उस समय गिरफ्तार नहीं हो सका था इस कारण प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ उपरोक्त अपराध अंतर्गत धारा 299 सीआरपीसी के तहत आरोप–पत्र पेश किया गया

था। कालांतार में प्राथी/अभियुक्त जुल्फेकार दिनांक 19.11.2025 को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रकरण में उसके खिलाफ आरोप–पत्र पेश किया जा चुका है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है तथा विचारण न्यायालय द्वारा विचारण लंबित है। उनका यह भी तर्क है कि मामले के अन्य अभियुक्तगण अब्दुल मतीन खान उर्फ नदीम, गुलसाद अहमद उर्फ बब्बू व ताहिर मेव की जमानत याचिका संख्या 9240/2020, दिनांक 08.09.2020 को समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त का मामला जमानत पर छोड़े गए अभियुक्तगण से भिन्न नहीं है। अतः उपरोक्त तर्कों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया तथा यह व्यक्त किया कि प्रार्थी/अभियुक्त घटना के बाद से फरार था, वह पांच साल बाद गिरफ्तार किया गया है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 19.11.2025 को गिरफ्तार किया गया था, तब से वह न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है अन्य सहअभियुक्तगण की जमानत इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। आरोप–पत्र पेश किया जा चुका है। विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षात्मक अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना हस्तगत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **जुल्फेकार उर्फ इन्ना पुत्र गुलसहीन उर्फ बुद्धन** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 82/2019, पुलिस थाना सुरपालिया, जिला नागौर** में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उपस्थिति हेतु **1,00,000/–रुपए (अक्षरे रुपये एक लाख मात्र)** का एक व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा **50,000–50,000/– (अक्षरे रुपये पचास–पचास**

हजार मात्र) की तस्दीकशुदा दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करा देवे तथा अभियुक्त की किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो हस्तगत प्रकरण में उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे। प्रार्थी/अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर व जब भी उसे बुलाया जावे, न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

(ASHUTOSH KUMAR),J

37-Nitin Jagtiani/-